(45)

II/निग0/3मरिया/2018/01878

न्यांयालय श्रीमान् राजस्व मण्डल अधिकारी महोदय म0प्र0 ग्वालियर कैम्प रीवा संभाग रीवा म0प्र0

अधि0 श्री गंगा प्रसाद तिवारी द्वारा पेश। 20.3-18

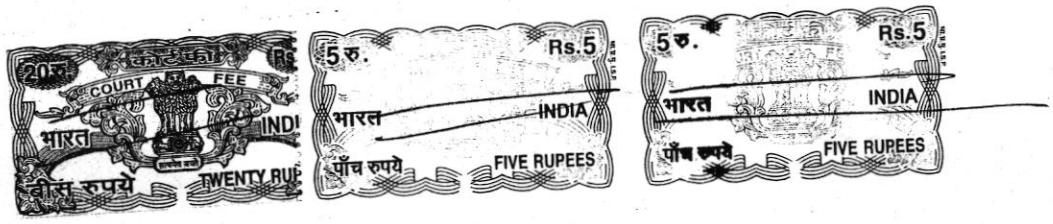

पत्रकार आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

राजेन्द्र पुरी (मृत)

1 (अ)–श्रीमती मैना गोस्वामी पत्नी स्व0 राजेन्द्र पुरी उम्र 55 वर्ष

1 (ब)–योगेन्द्र पुरी पिता स्व0 राजेन्द्र पुरी उम्र 30 वर्ष

1 (स)–गुड्डू पुरी पिता स्व0 राजेन्द्र पुरी उम्र 28 वर्ष

2. जगन्नाथ पुरी (मृत)

2 (अ)–श्रीमती ममता गोस्वामी पत्नी स्व0 जगन्नाथ पुरी उम्र 53 वर्ष

2 (ब)–अनिल पुरी पिता स्व0 जगन्नाथ पुरी उम्र 38 वर्ष

3. बद्री पुरी पिता स्व0 ज्वालापुरी उम्र 50 वर्ष

4. विश्वनाथ पुरी पिता स्व0 ज्वालापुरी उम्र 47 वर्ष

5. सुदामा पुरी (मृत)

5 (अ)–श्रीमती विमला गोस्वामी पत्नी स्व0 सुदामा पुरी उम्र 70 वर्ष

5 (ब)–राजाराम पुरी पिता स्व0 सुदामा पुरी उम्र 55 वर्ष

5 (स)–शिव पुरी पिता स्व0 सुदामा पुरी उम्र 52 वर्ष

5 (द)–रामेश्वर पुरी पिता स्व0 सुदामा पुरी उम्र 49 वर्ष

6. प्रहलाद पुरी (मृत) Exp. on 13/11/2016

6 (अ)–शांती पुरी पत्नी स्व0 प्रहलाद पुरी उम्र 70 वर्ष

6 (ब)–निर्मल पुरी पिता स्व0 प्रहलाद पुरी उम्र 65 वर्ष

6 (स)–व्यंकटेश्वर पुरी पिता स्व0 प्रहलाद पुरी उम्र 44 वर्ष

साभी निवासीगण ज्वालामुखी कॉलोनी उमरिया तह0 बांधवगढ जिला उमरिया (म0प्र0)

.... पुनरीक्षणकर्ता /आवेदकगण

बनाम

1. श्रीमती सावित्री यादव पत्नी स्व0 दुर्गा प्रसाद यादव उम्र 43 वर्ष निवासी ज्वालामुखी कॉलोनी उमरिया तह0 बांधवगढ जिला उमरिया म0प्र0 वर्तमान पता रेलवे स्टेशन के पास अनूपपुर जिला अनूपपुर (म0प्र0)

.... गैर पुनरीक्षणकर्ता/ अनावेदिक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

दो/निग./उमरिया/2018/01878

राजेन्द्र पुरी विरूद्ध श्रीमती सावित्री यादव

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31–08–18	प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री गंगा प्रसाद तिवारी को ग्राहयता के तर्क पर दिनांक 09.08.18 को सुना गया। 2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के प्र0क्र0 37/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 19.01.2018 के विरूद्ध भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ मेरे द्वारा आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश की छायाप्रति का अवलोकन किया। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 27.11.2014 से अनावेदिका द्वारा अपने हित में कोई ठोस आधार अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अपील निरस्त की है। 4/ अपर आयुक्त के आदेश का अवलोकन किया, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला है कि– नामांतरण पंजी क्रमांक 08 में पारित आदेश दिनांक 24.02.1975 की अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा 50/– रूपये की बिक्री के आधार पर रकबा 3.31 एकड़ विवादित भूमि का नामांतरण किया है, जबकि राजस्व निरीक्षक को वादग्रस्त भूमि का नामांतरण करने का अधिकार भी नहीं था। इसके अतिरिक्त नामांतरण के पूर्व इश्तहार का प्रकाशन भी नहीं किया है और न ही नामांतरण पंजी में इश्तहार संलग्न है। नामांतरण पंजी में किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है, जबकि विक्रेता की सहमति या उसकी उपस्थिति में नामांतरण नियम 27 के अंतर्गत सुनवाई कर आदेश पारित करना अनिवार्य था । नामांतरण नियम 27, 29, एवं 32 का पालन नहीं किया	

है । प्रकरण में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि क्या सावित्री यादव ही अकेली वारिस थी अथवा नहीं । अपर आयुक्त ने निष्कर्ष निकाला है कि सावित्री यादव के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में नामांतरण आदेश को जो चुनौती दी गई है, वह न्यायोचित है। इसी कारण अनुविभगीय अधिकारी बांधवगढ़ का आदेश दिनांक 27.11.14 निरस्त करते हुये प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाकर गुण–दोषों के आधार पर उभपक्षों को सुनने के उपरांत निर्णय लेने हेतु आदेशित किया है, को निरस्त किया है, जो कि न्यायोचित प्रतीत नहीं होता ।

5/ प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, जिला–उमरिया, व्यवहार वाद क्रमांक 3अ/2010 प्रचलित किया गया, जिसमें आदेश दिनांक 03.07.2012 से अनावेदिका का आवेदन आदेश 39 नियम 1, 2 अस्वीकार किया गया है एवं अपर जिला न्यायधीश उमरिया के द्वारा दिनांक 06.02.2016 को उक्त आदेश के विरूद्ध अपील भी निरस्त की गई है, जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमियों पर लम्बे समय से निगरानीकर्ता सावित्री यादव का कब्जा नहीं है। निगरानीकर्ता के द्वारा लगभग 35 वर्ष बाद अनुविभागीय अधिकारी के यहॉ अपील की गई है एवं दिन–प्रतिदन के विलम्ब का कोई औचित्य नहीं दर्शाया है। स्वत्व के संबंध में सिविल न्यायालय में प्रकरण अभी भी प्रचलित है, जिसका अंतिम निर्णय राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी होगा ।

6/ अतः उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त का आदेश स्थिर योग्य नहीं है, जिसे निरस्त किया जाता है एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 27.11.2014 एवं तहसीलदार का आदेश दिनांक 24.02.1975 बहाल किया जाता है।

7/ पक्षकार सूचित हो । प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

31.8.18
(आर.के. जैन)
सदस्य